

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

- दंडिक कार्य वितरण आदेश-

क्रमांक-क्यू/सीजेएम/2024

बिलासपुर, दिनांक 22 अप्रैल, 2024

मैं, मनीष कुमार दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 (1) एवं 15 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए जिला बिलासपुर में पदस्थ अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य निम्नानुसार दण्डिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा:-

क्र०	न्यायिक अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
1	मनीष कुमार दुबे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर छ 0 ग 0	<p>1- आरक्षी केन्द्र <u>सिविल लाईन, रेंज सायबर थाना</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (<u>भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों तथा परिवाद को छोड़कर</u>) तथा उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- <u>थाना यातायात एवं आर० टी० ओ०</u> बिलासपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- नगर पालिका निगम बिलासपुर से उद्भूत होने वाले <u>नगर पालिका अधिनियम</u> के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4- बिलासपुर तहसील से उद्भूत होने वाले <u>भारतीय वन अधिनियम</u> से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों तथा राजस्व जिला बिलासपुर के शेष सभी स्थानों से उद्भूत होने वाले वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5- तहसील क्षेत्र सीपत, मस्तूरी एवं बिलासपुर के अंतर्गत उद्भूत होने वाले <u>Food Safety & Standards Act</u>, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

31/10

6- राजस्व जिला बिलासपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न तेजाब फेंकने वाले मामले, कापीराईट एक्ट 1957 तथा ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

7- राजस्व जिला बिलासपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले खारिजी के मामलों का निराकरण करना।

8- बिलासपुर तहसील से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

9- आबकारी वृत्त सीपत एवं मस्तूरी से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों तथा नगर पालिका क्षेत्र सीपत से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

10- बिलासपुर मुख्यालय (तहसील/बाह्य न्यायालय को छोड़कर) में समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत कोलाहल नियंत्रण से उद्भूत मामलों का निराकरण करना।

11- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।

12- ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य वितरण आदेश में न हो, का निराकरण करना।

2

श्री पवन अग्रवाल
विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट/न्याय
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बिलासपुर छ 0 ग 0

1- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आर 0 पी 0 एफ 0 बिलासपुर एवं जी 0 आर 0 पी 0 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर) तथा उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।

2. माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

3	<p>श्रीमती मनीषा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ०ग०</p>	<p>1- बिलासपुर मुख्यालय से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र०-6355/दो-15-2/2012, बिलासपुर दिनांक 3/9/2013 के अनुसार बिलासपुर तहसील से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
4	<p>सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ०ग०</p>	<p>1- <u>आरक्षी केन्द्र महिला थाना</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) का निराकरण एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर के <u>अनुक्रमांक-6329/III-6-5/16 (JJC-59) बिलासपुर दिनांक 17/05/22</u> के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड बिलासपुर के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) के रूप में प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को बैठक कर कार्य का निष्पादन किया जाएगा।</p> <p>3- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

5	<p>श्री निकसन डेविड लकड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- <u>आरक्षी केन्द्र सिरगिटटी</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समयजिमत पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
6	<p>श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- बिलासपुर मुख्यालय के <u>आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, कोनी, सीपत, महिला थाना</u> से उदभूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
7	<p>श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1. <u>आरक्षी केन्द्र सरकंडा</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
8	<p>श्रीमती संजूलता देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- बिलासपुर मुख्यालय के <u>आरक्षी केन्द्र तारबाहर, सिटी कोतवाली, पचपेडी, सिरगिटटी</u> से उदभूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

9	<p>श्री शंकर कश्यप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- बिलासपुर मुख्यालय के <u>आरक्षी केन्द्र सरकंडा, तोरवा, मस्तूरी, सकरी</u> से उदभूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
10	<p>श्रीमती श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र पचपेड़ी से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- बिलासपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उदभूत दांडिक कार्यों का निराकरण करना ।</p> <p>3- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
11	<p>सुश्री रुचिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- <u>आरक्षी केन्द्र तारबाहर</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के मामलों एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

12	<p>श्रीमती प्रेरणा आहिरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1. <u>आरक्षी केन्द्र मस्तूरी</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन क्षेत्र से उत्पन्न परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
13	<p>श्री अंशुल मिंज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1. <u>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
14	<p>सुश्री ऐश्वर्या दीवान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1. <u>आरक्षी केन्द्र सीपत</u> से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

15	<p>सुश्री कोनिका यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र कोनी से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 2- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
16	<p>श्री आशीष कुमार चंदेहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र सकरी से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के मामलों एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
17	<p>श्री पार्थ दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र तोरवा से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले मामलों (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के मामलों एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों को छोड़कर) एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
18	<p>सुश्री शोआ मंसूर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
19	<p>सुश्री कांची अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

20	<p>सुश्री श्वेता अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
21	<p>सुश्री शुभदा गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिल्हा, जिला बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र बिल्हा, चकरभाठा से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों एवं परिवाद सहित) तथा उक्त थाना क्षेत्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र बिल्हा, चकरभाठा क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- तहसील बिल्हा के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम, Food Safety & Standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट तथा मण्डी अधिनियम के समस्त मजिस्ट्रेट ट्रायल आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4. आबकारी वृत्त बिल्हा से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5- माननीय छ 0 ग 0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रं 0-6355/दो-15-2/2012, बिलासपुर दिनांक 3/9/2013 के अनुसार तहसील बिल्हा के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>6- आरक्षी केन्द्र हिर्री क्षेत्र से उद्भूत मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियां अंकित करना।</p> <p>7- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
22	<p>सुश्री रश्मि मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिल्हा, जिला बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र हिर्री से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों एवं परिवाद सहित) तथा उक्त थाना क्षेत्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p>

		<p>2- आरक्षी केन्द्र हिरी क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र बिल्हा, चकरभाठा क्षेत्र से उद्भूत मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियां अंकित करना।</p> <p>4- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
23	<p>श्रीमती दीप्ती बरवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटा जिला बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र कोटा, चौकी बेलगहना से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों एवं परिवाद सहित) एवं उक्त थाना क्षेत्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र कोटा क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- तहसील कोटा क्षेत्र के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम Food Safety & Standards Act, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट तथा मण्डी अधिनियम के समस्त मजिस्ट्रेट ट्रायल आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4- तहसील कोटा से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5- तहसील कोटा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों (वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>6- माननीय छ 0 ग 0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रं 0-6355/दो-15-2/2012, बिलासपुर दिनांक 3/9/2013 के अनुसार तहसील कोटा के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

		<p>7- आरक्षी केन्द्र रतनपुर क्षेत्र से उद्भूत मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियां अंकित करना।</p> <p>8- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
24	<p>श्रीमती कल्पना भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटा, जिला बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र रतनपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों एवं परिवाद सहित) एवं उक्त थाना क्षेत्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों (वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>4- आरक्षी केन्द्र कोटा क्षेत्र से उद्भूत मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियां अंकित करना।</p> <p>5- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
25	<p>सुश्री शेता बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तखतपुर, जिला बिलासपुर छ 0 ग 0</p>	<p>1- आरक्षी केन्द्र तखतपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों एवं परिवाद सहित) तथा उक्त थाना क्षेत्र से उद्भूत खात्मा के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र तखतपुर क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3- तहसील तखतपुर के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम, Food Safety & Standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स दां० प्र० क्र० ४ कास्मेटिक्स एक्ट तथा मण्डी अधिनियम के समस्त मजिस्ट्रेट ट्रायल आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

	<p>4- आबकारी वृत्त तखतपुर से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5- माननीय छ 0 ग 0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रं 0-6355/दो-15-2/2012, बिलासपुर दिनांक 3/9/2013 के अनुसार तहसील तखतपुर के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>6- तहसील तखतपुर क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों (थाना तखतपुर का वह क्षेत्र, जो जिला मुंगेली के अन्तर्गत आता है, से संबंधित मामलों को छोड़ कर) (वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>7- माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
--	--

नोट:-

- (1) यदि बिलासपुर मुख्यालय में पदस्थ किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाता है, और उसके स्थान पर तत्काल किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के थाना क्षेत्र से उद्भूत नवीन दांडिक कार्य आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।
- (2) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, अनुपस्थित रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-ए (चक्रीय क्रमानुसार) के अनुसार सम्पादित किया जावेगा।
- (3) दांडिक कार्य वितरण आदेश में किसी तात्त्विक उल्लेख के अभाव में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।

स्थान-बिलासपुर.
दिनांक-१३ अप्रैल, 2024.

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिलासपुर. छ 0 ग 0

परिशिष्ट- (बी)

धारा 164 दं० प्र० सं० के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतिया अंकित किये जाने क संबंध में

1	2	3	4	5
क्र०	थाना का नाम	संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलम नंबर-3 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलम नंबर-3 एवं 4 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम
1	सरकंडा, पचपेड़ी, अजाक	श्रीमती मनीषा ठाकुर JMFC बिलासपुर (धारा 354, 509 भा० दं० सं० से संबंधित अपराध को छोड़कर)	सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी JMFC बिलासपुर	सुश्री कोनिका यादव JMFC बिलासपुर
2	सिविल लाईन, तोरवा	सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी JMFC बिलासपुर (किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित अपराध को छोड़कर)	सुश्री प्रेरणा आहिरे JMFC बिलासपुर	सुश्री ऐश्वर्या दीवान JMFC बिलासपुर
3	सिरगिट्टी, GRP, RPF	श्रीमती श्वेता गोस्वामी JMFC बिलासपुर	श्रीमती संजूलता देवांगन JMFC बिलासपुर	सुश्री शोआ मंसूर, JMFC बिलासपुर
4	सीपत, मस्तूरी	सुश्री कोनिका यादव JMFC बिलासपुर	सुश्री श्वेता अवस्थी JMFC बिलासपुर	श्री आशीष चंदेहे JMFC बिलासपुर
5	तारबाहर, सकरी	श्रीमती संजूलता देवांगन JMFC बिलासपुर	सुश्री कांची अग्रवाल JMFC बिलासपुर	सुश्री श्वेता अवस्थी JMFC बिलासपुर
6	सिटी कोतवाली, महिला थाना, रेंज सायबर थाना	श्रीमती प्रेरणा आहिरे JMFC बिलासपुर	सुश्री शोआ मंसूर JMFC बिलासपुर	श्री पार्थ दुबे JMFC बिलासपुर
7	कोनी, तखतपुर	सुश्री रुचिता अग्रवाल JMFC बिलासपुर	श्रीमती श्वेता गोस्वामी JMFC बिलासपुर	सुश्री ऐश्वर्या दीवान JMFC बिलासपुर

परिशिष्ट- (सी)

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52 (क) उपधारा (2) के तहत जप्तशुदा मादक दवाओं/मनःप्रभावी पदार्थों के भौतिक सत्यापन किये जाने के संबंध में

1	2	3
क्र०	थाना का नाम	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम
1	सरकंडा, पचपेड़ी, सीपत	1-श्री निकसन डेविड लकड़ा, JMFC बिलासपुर छ० ग०
2	सिविल लाईन, तोरवा	1- श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, JMFC बिलासपुर छ० ग०
3	सिरगिट्टी, GRP, RPF	1- श्री अंशुल मिंज, JMFC बिलासपुर छ० ग०
4	तारबाहर, मस्तूरी, सकरी	1- श्री पार्थ दुबे, JMFC बिलासपुर छ० ग०
5	सिटी कोतवाली, कोनी, तखतपुर	1- श्री आशीष चंदेहे, JMFC बिलासपुर छ० ग०
6	रतनपुर	1- श्रीमती दीप्ती बरवा JMFC, कोटा जिला बिलासपुर
7	कोटा	1- श्रीमती कल्पना भगत JMFC, कोटा जिला बिलासपुर
8	बिल्हा, चकरभाठा	1- सुश्री रश्मि मिश्रा, JMFC बिल्हा, जिला बिलासपुर
9	हिरी	1-सुश्री शुभदा गोयल, JMFC बिल्हा, जिला बिलासपुर

नोट-परिशिष्ट (सी) के कॉलम नंबर-3 में भौतिक सत्यापन करने वाले न्यायिक अधिकारी के अवकाश में रहने से परिशिष्ट (ए) के अनुसार कार्य संपादित किया जाएगा ।

टीप:-

(1) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देवे।

(2) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किए जा सकने योग्य प्रकरण प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।

(3) परिशिष्ट (ए) में दिये गये क्रमांक निरन्तरता में पढ़े जावे। जैसे सीरियल क्रमांक (1) के स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने की दशा में कार्य व्यवस्था सीरियल क्रमांक (2) के अनुसार लागू हो सकेगी, और तब सीरियल क्रमांक (2) के स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) जैसी भी स्थिति हो, के न्यायिक मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य को देखने की अधिकारिता एवं दायित्व रखेंगे।

(4)- परिशिष्ट (ए) के अन्तर्गत यदि स्तम्भ क्रमांक (1) के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, एवं उनकी अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य देखने वाले क्रमशः स्तम्भ क्रमांक (2) एवं (3) के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अवकाश में रहते हैं, और जब अत्यावश्यक कार्य देखने वाले मजिस्ट्रेट के सम्बंध में शंकास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य का सम्पादन किया जावेगा।

(5)- माननीय छ 0 ग 0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा जारी Memo No.- 1475/D&A/2023, Bilaspur Date 08/11/2023 में दिये दिशा-निर्देश के अनुसार "परिशिष्ट-ए" के अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश में रहने से उनके स्थान पर उनके अत्यावश्यक कार्य को देखने वाले मजिस्ट्रेट "संबंधित न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यों के साथ-साथ संबंधित न्यायालय में उपस्थित साक्षियों का यदि संभव हो तो साक्ष्य लेखबद्ध करेंगे और संभव न हो तो उपस्थित साक्षियों को(Except the official witnesses) पाबंद करेंगे तथा न्यायिक डायरी को विचार में रखते हुए उपस्थित साक्षियों को पीठासीन अधिकारी के उपस्थित होने से तीन दिवस के बाद की तिथि नहीं दी जाएगी" उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित/संपादित करेंगे।

मनीष कुमार दुबे

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिलासपुर छ 0 ग 0

बिलासपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2024

पृष्ठांकन क्रमांक-क्यू/सीजेएम/2024.

प्रतिलिपि:-

- (1) माननीय सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित ।
- (2) श्री पवन कुमार अग्रवाल/श्रीमती मनीषा ठाकुर/सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी/श्री निकसन डेविड लकड़ा/श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक/श्री कृष्ण मुरारी शर्मा/श्रीमती संजूलता देवांगन/श्री शंकर कश्यप/श्रीमती श्वेता गोस्वामी/सुश्री रुचिता अग्रवाल/सुश्री प्रेरणा आहिरे/श्री अंशुल मिंज/सुश्री ऐश्वर्या दीवान/सुश्री कोनिका यादव/श्री आशीष कुमार चंदेहे/श्री पार्थ दुबे/सुश्री शोआ मंसूर/सुश्री श्वेता अवस्थी/सुश्री कांची अग्रवाल/सुश्री कल्पना भगत/श्रीमती दीप्ती बरवा/सुश्री श्वेता बघेल/सुश्री शुभदा गोयल/सुश्री रश्मि मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर/कोटा/तखतपुर/बिल्हा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (3) पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर की ओर से समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने हेतु अग्रेषित।
- (4) सहायक आयुक्त, बिलासपुर की ओर समस्त आबकारी उपनिरीक्षकों को संसूचित करने हेतु अग्रेषित।
- (5) लोक अभियोजक, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- (6) सांख्यिकीय अनुभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- (7) कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय के वेब साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- (8) न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (9) रजिस्ट्रार, केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (10) प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचनार्थ।
- (11) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बिलासपुर/कोटा/तखतपुर/बिल्हा को सूचनार्थ।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिलासपुर, छ 0 ग 0